बिहार सरकार

कार्यालय : निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना।

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION

Website: www.lnjporthohospital.org, E.mail- lnjpnhospital@gmail.com

आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत रोगियों को भोजन/नास्ता आपूर्ति हेतु निविदा

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अन्तर्गत रोगियों के कल्याणार्थ विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाना हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना में **24X7** सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत रोगियों के लिये भोजन/नास्ता आपूर्ति हेतु इच्छुक गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मो/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों से कम्प्यूटरीकृत टंकित तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग दो लिफाफों में कर, एक बड़े लिफाफें में सील बंद कर व उक्त लिफाफे पर आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत रोगियों के लिये भोजन/नास्ता आपूर्ति हेतु निविदा स्पष्ट रूप से अंकित कर निविदा प्रकाशन की तिथि से **21 दिनों के अंदर** सिर्फ निबंधित डाक से निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाओं को अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस को पूर्वाहन 11.00 बजे निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, पटना के कार्यालय कक्ष में क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि, निविदा खोले जाने के समय उपस्थित रह सकते है अन्यथा उनकी अनुपस्थिति में भी निविदा खोली जा सकती है। निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय शर्त्त कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में **Director, Loknayak Jaiprakash Narayan Hospital, Rajbansinagar, Patna** के नाम से रू0 1000/– का डिमान्ड ड्रॉफ्ट (Non-Refundable) बनाकर अपने लेटर पैड के माध्यम से एक आवेदन निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, पटना के कार्यालय कक्ष में जमा करने के पश्चात् ही प्राप्त की जा सकती हैं। तत्पश्चात् ही संस्था निविदा डालने के लिए अधिकृत होगें। विस्तृत जानकारी के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना के वेबसाईट पर **www.lnjporthohospital.org** अथवा **www.prdbihar.gov.in** पर देखा जा सकता है।

(क.) स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या–648(10) दिनांकः 07.02.2015 के द्वारा सरकारी अस्पताल में पथ्य (फुल डायट नार्मल Energy & 3500 kcal/protein-100gm) की अधिकतम दर 97.69 रू० प्रतिरोगी प्रतिदिन निर्धारित किया गया है, के आलोक में संस्था द्वारा रोगियों के लिये भोजन/नास्ता आपूर्ति हेतु प्रतिदिन प्रतिरोगी जो सरकार द्वारा निर्धारित दर से 10 (दस) प्रतिशत से ज्यादा कम न हो का दर वित्तीय निविदा में अंकित करना होगा, जिससे न्यूनतम दर के आधार पर L1 का चयन किया जायेगा। संस्था द्वारा अंतःकक्ष रोगियों को निम्न मीनू के आधार पर भोजन/नास्ता उपलब्ध कराने से संबंधित कार्यो कि विवरणी निम्नलिखित है।

सुबह में **7AM TO 8AM**	पावरोटी 02 पीस या रोटी 02 पीस (50 ग्राम) (Aluminum foil में), छुहारा 02 पीस, सुजी का हल्वा 100 ग्राम, चना या चना दाल डाला हुआ कदू/नेनुआ/मिक्स हरा सब्जी (बिना मसाला डाला हुआ) सब्जी 100 ग्राम, हल्का मसाला में फ्राई किया हुआ फुला अंकुरित चना 100 ग्राम, फ्राई किया हुआ हरा मिर्चा 2 पीस, चाय 01 कप एवं अंडा 02 पीस/**(अंडा नहीं खाने वालो के लिए मौसमी फल)** जैसे–केला 04 पीस या सेव 100 ग्राम या संतरा 100 ग्राम या अंगुर 100 ग्राम या पपीता 100 ग्राम।
दोपहर में **12AM TO 1PM**	रोटी 02 पीस (50 ग्राम) (Aluminum foil में), कतरनी या बासमती चावल 125 ग्राम, दाल (चना/अरहर/मुंग/मसुर) 100 ग्राम, हरा सब्जी 100 ग्राम, लिज्जत पापड हॉफ पीस, दही 50 ग्राम (डिब्बावाला), पुदीना/धनीया का पत्ता की चटनी 2 (दो) चम्मच, फ्राई किया हुआ हरा मिर्चा 2 पीस, नीबू हॉफ पीस एवं सलाद 100 ग्राम।
शाम में **4PM TO 5PM**	आरारोट बिस्कुट 02 पीस, फुला हुआ अंकुरित हरा मुंग 50 ग्राम, रोग प्रतिरोधक क्षमता वेजिटेबल जूस (टमाटर, पालक, गाजर, चुकंदर, लहसुन, अदरक, जीरा, गोलकी मिर्च, लौंग, तुलसी पत्ता एवं गुड़ को मिलाकर) 01 कप या कोई रोगी चाय पीने की इच्छा जाहीर करता है तो उसे 01 कप चाय देना होगा।
रात में **7PM TO 9PM**	रोटी 04 पीस, (100 ग्राम) (Aluminum foil में), दुध 500 ग्राम (सुधा या अमूल पॉकेट वाला), चीनी/गुड़ भूरा 25 ग्राम, हरा सब्जी 100 ग्राम, फ्राई किया हुआ हरा मिर्चा 2 पीस एवं सलाद 100 ग्राम।

26.5.20 26/05/20 26/5/2020 26/05/20 26/5/20 26.5.2020

Scanned by CamScanner

(01) भोजन/नास्ता भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के मानकों के अनुसार होना चाहिए।

(02) भोजन/नास्ता ब्राण्डेड कम्पनी के स्टील थाली (मेनू की संख्या के अनुकूल खंदा बना थाली)/टीफिन (मेनू की संख्या के अनुकूल खंदा बना टीफिन) में उपलब्ध कराना होगा।

(03) दुध, जूस, चाय, कॉफी वगैरह पैक कन्टेनर में देना होगा।

(04) शुद्ध पेयजल हेतु ब्राण्डेड कम्पनी का (RO Machine/Water Purifier) लगाना एवं रख-रखाव करना होगा।

(05) संस्था के द्वारा लॉगबुक संधारण करना होगा, जिसका प्रारूप अस्पताल प्रशासन द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(06) मीनू के अनुरूप भोजन/नास्ता ताजा एवं स्वादिष्ट होना चाहिए, पथ्य विशेषज्ञ द्वारा जॉचोपरांत भोजन/नास्ता सही नहीं पाये जाने पर उसे दूसरा भोजन/नास्ता बनाकर देना होगा, ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर अस्पताल प्रशासन के गठित समिति द्वारा जॉचोपरान्त दोषी पाये जाने के पश्चात् संस्था से बिना कोई स्पष्टीकरण पूछे अस्पताल प्रशासन द्वारा उक्त माह का संस्था द्वारा जमा की गई विपत्र पर अंकित राशि में से दस (10) प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

(07) विभिन्न प्रकार के रोगियों जैसे डायबेटिक, रेनल वगैरह के अनुकूल परामर्शी द्वारा निर्धारित मेनू के अनूरुप भोजन/नास्ता एकरारनामा में दर्शाये गये शर्त्तो के अनुकूल देना होगा।

(08) स्वास्थ्य विभाग के तरफ से अगर प्रतिरोगी प्रतिदिन के निर्धारित दर में किसी प्रकार की घटोतरी या बढोतरी होती है तो भुगतान नये दर को तत्काल लागू कर किया जायेगा।

(09) रोगियों को आपूर्ति किया गया भोजन/नास्ता से संबंधित **(जिसकी सम्पुष्टि अस्पताल प्रशासन द्वारा कराने के पश्चात् ही संस्था को भुगतान किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में बिना सम्पुष्टि के संस्था को भुगतान नहीं किया जायेगा)** विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान किया जायेगा।

(10) अस्पताल प्रशासन द्वारा अस्पताल परिसर में उपलब्ध कराई गई रसोई घर में लगा हुआ सभी प्रकार के बल्ब, तार अथवा बिजली संबंधित सामग्री की किसी भी प्रकार की भी क्षति होती है तो उक्त परिस्थिति में बदलना/मरम्मती एवं रख–रखाव संस्था द्वारा किया जायेगा।

(11) भोजन/नास्ता बनाने एवं रख–रखाव हेतु निविदा में सफल होने की लिखित सूचना प्राप्त होने के 15 दिनो के अंदर संस्था के नाम से खरीदी गई कमर्शियल रसोई गैस सिलेन्डर, फ्रिज, एवं सभी प्रकार के सामग्री (शोरूम से निकाली गई नई सेट) से संबंधित सभी प्रमाण–पत्र, कैशमेमों, कागजातों की मूल प्रति की छाया–प्रति अस्पताल के कार्यालय कक्ष में जमा करना होगा। तत्पश्चात् ही भोजन वगैरह आपूर्ति हेतु संस्था के साथ अस्पताल प्रशासन द्वारा एकरारनामा किया जायेगा।

(12) रसोई घर में किसी भी स्थिति में हीटर का प्रयोग नहीं करना हैं।

(13) रसोई घर के अन्दर या बाहर कोई अन्य व्यापारिक गतिविधियॉ **(Birthday Party & Other Parties)** अस्पताल प्रशासन की अनुमति के बिना नही करना है।

(14) वार्डो में भर्ती रोगियों की सूची प्राप्त कर प्रतिदिन प्रतिरोगी को उनके बेड पर भोजन बैट्री युक्त रिमोट चालित ट्रॉली से उपलब्ध कराना होगा।

(15) अस्पताल प्रशासन द्वारा अस्पताल परिसर में किये जाने वाले सभी तरह के सरकारी कार्यक्रमो अथवा मरीज के परिजनों हेतु आवश्यकतानुकूल भोजन/नास्ता/चाय वगैरह की अस्पताल प्रशासन द्वारा निर्धारित दर पर समुचित व्यवस्था के तहत उपलब्ध करना होगा।

(16) भोजन/नास्ता का मीनू एवं मुल्य तालिका के अनुरूप प्रदर्शित करने हेतु 5 फुट x 3 फुट प्लाई बोर्ड पर लिखा हुआ **(अस्पताल भवनों में तीन पीस, रसोई घर के मुख्य द्वार पर एक पीस एवं अस्पताल परिसर में तीन पीस जिसका जगह का निर्धारण अस्पताल प्रशासन द्वारा किया जायेगा)** टांगना होगा।

(17) खाद्य सामग्रियों मे वेजीटेबल ऑयल का उपयोग करना अनिवार्य होगा।

(18) अस्पताल प्रशासन द्वारा समय–समय पर ऑयल एवं अन्य खाद्य सामग्रियों का नमूना संग्रह कर उसे जॉच हेतु खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशाला को भेजा जायेगा। मिलावट पकडे जाने पर एकरारनामा रद् कर प्राथमिकी दर्ज करते हुए अगले दस वर्षो तक के लिए काली सूची में डाल दिया जायेगा।

(19) निविदा में दिये गये कार्य की अनिवार्यता की विवरणी के अनुरूप अस्पताल प्रशासन द्वारा निर्गत **निविदा शर्त्त (क)** के आलोक में रोगी को भोजन/नास्ता के आधार पर दर अंकित करना होगा, उक्त कार्य की अनिवार्यता के आलोक में गणना से कम राशि अंकित करने पर **वित्तीय निविदा अस्वीकृत कर दिया जायेगा।** यह मान नहीं होगा कि दर निर्धारण के समय रोगी का भोजन/नास्ता का दर से कम दर अंकित करते हुए संस्था कहती है की मैं अपने खर्च से कार्यो का संपादन एकरारनामा के अनुरूप करूँगा।

(20) दुर्घटना से ग्रसित या किसी भी रोग से संबंधित भर्ती **रोगी के परेशानी, लोक–लज्जा एवं मानवता को ध्यान में रखते हुए भोजन/नास्ता देने के समय रोगी का अंगूठा का निशान अथवा हस्ताक्षर किसी भी परिस्थिती में संस्था**

26.5.20 26/5/20 26/5/2020 26/5/20 26/5/20 26.5.2020

Scanned by CamScanner

द्वारा नहीं कराया जायेगा, संस्था का भुगतान कार्यालय में उपलब्ध भर्ती रजिस्टर में अंकित रोगी के नाम की गणना के आधर पर किया जायेगा, महिला रोगियों का भोजन/नास्ता महिला कर्मियों द्वारा उपलब्ध कराना होगा।

(21) भोजन/नास्ता बनाने एवं बॉटने के समय श्रमिकों/सुपरवाईजर को मास्क, टोपी एवं दस्ताना पहनना अनिवार्य होगा, खाना परोसने वाला एवं बनाने वाला श्रमिक बिल्कुल स्वस्थ्य होना चाहिए उनको टाइफाईड, संक्रमण एवं अन्य कोई बिमारी नहीं होनी चाहिए, के आलोक में प्रत्येक पंद्रह दिनो पर स्वास्थ्य जॉच कराने के पश्चात् स्वस्थ्य होने का प्रमाण पत्र अस्पताल के सक्षम कार्यालय में जमा करना होगा।

(22) अस्पताल परिसर में रोगी के हित में अस्पताल भवनों का विस्तार किया जा रहा है। विस्तार होने के उपरान्त अस्पतालो में रोगी की वृद्धि हो जायेगी। उक्त परिस्थिति में आवश्यकतानुसार कय समिति द्वारा प्रतिरोगी प्रतिदिन के लिए निर्धारित L1 दर के आधार पर भोजन/नास्ता चयनित संस्था के द्वारा उपलब्ध कराना होगा।

(23) गर्मी के मौसम में चिकित्सा पदाधिकारियों/कर्मियों/भर्ती रोगियों/आम रोगियों/रोगियों के परिजनों के लिए ठंडा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने हेतु ब्रांण्डेड कम्पनी का वडा साईज के दो (02) (RO Machine/Water Purifier) अस्पताल परिसर स्थित रसोई घर के मुख्य द्वार के पास लगाना एवं रख-रखाव करना होगा।

(24) जाड़े के मौसम एवं अन्य समय हेतु चिकित्सा पदाधिकारियों/कर्मियों/भर्ती रोगियों/आम रोगियों/रोगियों के परिजनों के लिए गरम पानी की व्यवस्था कराने हेतु ब्राण्डेंड कम्पनी का पानी गर्म करने वाला उपकरण लगाना एवं रख–राखाव करना होगाा।

(25) भर्ती रोगियों को भोजन करने के समय में किसी प्रकार की असुविधा होती हो तो असुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बेड़ के पास एक ट्रॉली टेबल रखना होगा।

(26) वैश्विक महामारी/आपातकाल के समय सरकार की शर्त्तोनुकूल कार्य करना होगा, जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

(27) सभी कर्मी द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना, छपा हुआ निर्धारित पोशाक पहनकर हीं संबंधित कार्य का निष्पादन करना होगा।

(28) 15 अगस्त एवं 26 जनवरी के अतिरिक्त बिहार के प्रमुख पर्व, पर्व मिलन समारोह, सेवा निवृत विदाई समारोह आदि में होने वाली सभी खर्च का वहन संस्था द्वारा करना होगा।

(29) माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, प्रधान सचिव स्वास्थ्य, सचिव स्वास्थ्य, कार्यपालक निदेशक,राज्य स्वास्थ्य समिति, प्रमंडलीय आयुक्त, पटना, जिला पदाधिकारी, पटना एवं अन्य सक्षम पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर की गई अस्पताल की निरीक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन में आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कराये जा रहे कार्यो के आलोक में असंतोष पाये जाने के उपरांत शिकायत की टिप्पणी की जाती है तो उक्त परिस्थिति में संस्था से बिना कोई स्पष्टीकरण पूछे अस्पताल प्रशासन द्वारा उक्त माह का संस्था द्वारा जमा की गई विपत्र पर अंकित राशि में से दस (10) प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

(30) राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कराई जा रही विभिन्न प्रकार के कार्यो की मूल्यांकन संबंधित अभियान के आलोक में बिहार राज्यान्तर्गत सभी स्तर के अस्पतालों के निरीक्षण उपरांत प्रोत्साहन हेतु प्रथम, द्वित्तीय एवं तृतीय स्थान पर सफल आनेवाले संस्थान को प्रोत्साहित की जाती हैं। यदि लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना उस दायरे में चयन होता है, के आलोक में आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कार्य करने वाले संस्था को रोगी कल्याण समिति के द्वारा 26 जनवरी अथवा 15 अगस्त जैसे समारोह में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जायेगा, संबंधित अभियान के आलोक में प्रथम, द्वित्तीय एवं तृतीय स्थान संस्थान को प्राप्त नहीं होती है तो उक्त परिस्थिति में संस्था द्वारा जमा की गई विपत्र के राशि में से जीरो (0) प्रतिशत से लेकर पॉच (05) प्रतिशत तक कटौती करने का अधिकार अस्पताल प्रशासन अपने पास सुरक्षित रखती है।

(31) संस्था अन्तर्गत कार्यरत सभी स्तर के कर्मियों के लिए पॉच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा, अटल पेंशन बीमा, दुर्घटना बीमा एवं उक्त कर्मियों के एक लड़की का शुकन्या समृद्धि बीमा (शुकन्या समृद्धि बीमा शर्त्तोनुकूल एक हजार रु प्रतिमाह) एकरारनामा अवधि तक जमा करना होगा। अगर कर्मियों द्वारा संस्था से नाता तोड दिया जाता है तो उक्त माह से ही संस्था द्वारा किस्त जमा नहीं किया जायेगा।

(32) संबंधित इकाई के ऑन डियूटी सक्षम पदाधिकारी द्वारा आउटसोर्सिंग व्यवस्था से संबंधित कोई भी कार्य करने हेतु निदेशीत किया जाता है, तो संबंधित कार्य को प्रथम प्राथमिकता देते हुए तत्काल निष्पादन कर संबंधित पदाधिकारी को संतुष्ट करना होगा अन्यथा अस्पताल प्रशासन द्वारा उक्त माह का संस्था द्वारा जमा की गई विपत्र पर अंकित राशि में से पॉच (05) प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

(33) एक लेखापाल (B.Com पास एवं राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्धारित मानदेय) कार्यालय अवधि तक रखना होगा, जिसका कार्य निविदा शर्त्तोनुकूल कार्यो का ससमय निष्पादन करने सहित विपत्र पर संस्था के सक्षम पदाधिकारी के अतिरिक्त उक्त लेखापाल का भी हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

Scanned by CamScanner

(34) अस्पताल स्थित रसोई घर की आंतरिक सुरक्षा एवं अस्पताल स्थित रसोई घर के आस–पास में हो रही कार्यो की निगरानी हेतु ब्राण्डेड कम्पनी का 16 पीस CCTV के मरा लगाने सहित रख–रखाव करना होगा। जिसका माइक के साथ उपकरण एवं 32 इंच T.V निदेशक एवं लिपीकीय कार्यालय अथवा अस्पताल प्रशासन द्वारा निर्धारित जगह पर लगाना होगा।

(35) भर्ती रोगियों को समय सीमा के अन्दर भोजन/नास्ता उपल्बध नहीं कराने पर अस्पताल प्रशासन द्वारा उक्त माह का संस्था द्वारा जमा की गई विपत्र पर अंकित राशि में से पॉच (05) प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

(ख) गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों का तकनीकी निविदा हेतु शर्त्तों एवं योग्यताओं से संबंधित सभी प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति तकनीकी निविदा आवेदन (प्रारूप में प्रमाण–पत्रों एवं संबंधित कागजातों की संख्या दर्शाते हुए) के साथ संलग्न करना होगा।

(01) निविदादाता द्वारा निर्गत तकनीकी निविदा आवेदन (पत्रांक दिनांक सहित)।

(02) गैर सरकारी संस्थाओं का सोसाईटी एक्ट 21,1860 के अधीन निबंधित होना चाहिए अथवा कम्पनियों का कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) के अधीन निबंधित होना चाहिए अथवा फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों का बिहार शॉप्स एण्ड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट "1953" के अधीन निबंधित होना चाहिए, का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(03) निविदा आवेदन के साथ अग्रधन के रूप में रू०–1,00,000/– (एक लाख रू०) मात्र (चयनित संस्था का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट एकरारनामा अवधि तक Non-Refundable) का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत डिमाण्ड ड्रॉफ्ट जो Director, Loknayak Jaiprakash Narayan Hospital, Rajbansinagar, Patna. के नाम देय होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।

(04) ESI निबंधन प्रमाण–पत्र सलंग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(05) EPF निबंधन प्रमाण–पत्र सलंग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(06) बिहार शॉप्स एण्ड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट "1953" के अधीन निबंधन प्रमाण–पत्र सलंग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(07) गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों के नाम का पैन कार्ड की छाया–प्रति सलंग्न करना होगा। अगर निविदादाता फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों का प्रोप्राईटर हैं तो निविदादाता का पैन कार्ड की छाया–प्रति संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(08) खाद्य अनुज्ञप्ति निबंधन प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(09) TIN No. एवं GST No. निबंधन प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(10) उद्योग विभाग (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय) द्वारा निर्गत उधोग आधार निबंधन प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(11) निविदादाता को अपने संस्था के नाम से खोली गई Current Account के तहत बैंक द्वारा निर्गत 1,00,000/- रूपये तक का Solvency Certificate या 1,00,000/- रूपये का Director, Loknayak Jaiprakash Narayan Hospital, Rajbansinagar, Patna के नाम से Fixed Deposit या डिमाण्ड ड्रॉफ्ट संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।

(12) Current Account (सिर्फ एक बैंक का स्टेटमेन्ट) खोलने की तिथि से निविदा प्रकाशन तिथि के बाद तक का बैंक स्टेटमेन्ट की प्रत्येक प्रति संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले के बैंक खाते का होना चाहिए।

(13) विगत तीन वर्षो का आयकर Return (Assessment Year AY- 2017-18, 2018-19, 2019-20) प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

(14) किसी भी क्षेत्र के व्यवसाय में विगत तीन Financial Year (FY- 2016-17, 2017-18, 2018-19) को मिलाकर कुल टर्न ओवर 1,50,00,000/- (एक करोड़ पच्चास लाख रूपये) होने का मान्यता प्राप्त चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा निर्गत ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करना होगा।

(15) निविदादाता द्वारा नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न करना होगा कि उन पर या उनकी संस्था पर किसी प्रकार का न्यायालय या थाना में वाद लंबित नही हैं एवं किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है तथा संस्था को किसी भी सरकारी संस्थानों द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया हैं, शपथ –पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।

(16) निविदादाता द्वारा नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न करना होगा कि श्रम नियमावली के अन्तर्गत एक श्रमिक एक दिन के एक पाली यानी (8 घंटा) ही कार्य करेगें एवं श्रम नियमावली के अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा वर्त्तमान में निर्गत अधिसूचना में दर्शाई गई निर्धारित दर पर एवं प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में

Scanned by CamScanner

श्रमिकों को श्रमिकों के बैंक खाता में संस्था द्वारा भुगतान किया जाएगा। तत्पश्चात् ही उक्त माह का भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगें, शपथ–पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।

(17) निविदादाता के आवास (जो वर्तमान मे है)। आवास (स्थाई/अस्थाई) का आवासीय प्रमाण–पत्र (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(18) निविदादाता का पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले अथवा बाद का बना होना चाहिए।

(19) निविदादाता का आधार कार्ड की प्रति संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(20) निविदादाता द्वारा नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न करना होगा कि संस्था पर बिहार राज्यान्तर्गत किसी भी स्तर के सरकारी अस्पतालों सहित भारत सरकार/बिहार सरकार के किसी भी विभागों/कार्यालयों में विभिन्न प्रकार का आरोप– यथा (आउट–सोर्सिंग से संबंधित कार्य करने में लापरवाही करने के कारण सक्षम पदाधिकारियों द्वारा बार–बार मौखिक कहने के बावजूद कार्य मे सुधार नहीं होने के पश्चात् अस्पताल प्रशासन अथवा अन्य कार्यालयों के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार स्पष्टीकरण की माँग के तहत प्राप्त असंतोष जवाब एवं असंतोष जवाब होने के आलोकनार्थ तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा कार्य करने की लापरवाही के कारण विपत्र में से राशि की कटौती किया गया हो अथवा फर्जी तरीके से राशि निकालने का उजागर हुआ हो अथवा निविदा आवेदन के साथ संलग्न की गई कागजातों/प्रमाण–पत्रों का सक्षम पदाधिकारियों/सक्षम संस्थान/सक्षम कार्यालय द्वारा किया गया भौतिक सत्यापन में फर्जी/भ्रामक/आधा–अधुरा पाये जाने का आरोप) नही लगा है, शपथ–पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।

तकनीकी निविदा का प्रारूप

क्रम सं0	प्रमाण पत्रों, शपथ पत्रों, ड्रॉफ्ट की पूरा विवरण।		प्रमाण पत्र/शपथ पत्र/ड्रॉफ्ट सं0/निबंधन सं0/पत्रांक सं0	कार्यालय द्वारा निर्गत तिथि	कागजातों की क्रमबार संख्या	कागजातों की कुल संख्या
1	तकनीकी निविदा आवेदन (पत्रांक दिनांक सहित)।				001 To	
2	संस्था का निबंधन प्रमाण पत्र।				To	
3	अग्रधन राशि, 01,00,000/ रूपये का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट।				To	
4	ESI निबंधन प्रमाण पत्र।				To	
5	EPF निबंधन प्रमाण पत्र।				To	
6	बिहार शॉप्स एण्ड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट "1953" के अधीन निबंधन प्रमाण–पत्र।				To	
7	पैन कार्ड की प्रति।				To	
8	खाद्य अनुज्ञप्ति निबंधन प्रमाण पत्र।				To	
9	TIN No. ,एवं GST No. निबंधन प्रमाण–पत्र।				To	
10	उद्योग विभाग द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र।				To	
11	Solvency Certificate या fixed deposit या डिमाण्ड ड्रॉफ्ट 1,00,000/- लाख रूपये का।				To	
12	Current Account बैंक स्टेटमेंट एकाउन्ट नं० सहित।				To	
13	विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न की प्रति।	2017-18 :-			To	
		2018-19 :-			To	
		2019-20 :-			To	
14	विगत तीन Financial Year को मिलाकर कुल टर्न ओवर 1,50,00,000/- (एक करोड़ पच्चास लाख) रूपये की प्रति।	2016-17 :-			To	
		2017-18 :-			To	
		2018-19 :-			To	
15	निविदादाता पर या उनकी संस्था पर किसी प्रकार का न्यायालय या थाना में वाद लंबित नहीं हैं एवं किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है तथा				To	

26.5.20 26/05/20 26/5/2020 26/05/20 JP 26/5/20 26.5.2020

Scanned by CamScanner

	संस्था को किसी भी सरकारी संस्थानों द्वारा काली सूची में दर्ज नही किया गया हैं, का शपथ–पत्र।				
16	श्रम नियमावली के अन्तर्गत एक श्रमिक एक दिन के एक पाली यानी (8 घंटा) ही कार्य करेगें एवं श्रम नियमावली के अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा वर्त्तमान में निर्गत अधिसूचना में दर्शाई गई निर्धारित दर पर एवं प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में श्रमिकों को श्रमिकों के बैंक खाता में संस्था द्वारा भुगतान किया जाएगा। तत्पश्चात् ही उक्त माह का भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगें, का शपथ–पत्र।			To	
17	निविदादाता का आवास (जो वर्तमान मे है) आवास (स्थाई / अस्थाई) का आवासीय (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) प्रमाण–पत्र।			To	
18	निविदादाता का पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण–पत्र।			To	
19	निविदादाता का आधार कार्ड की प्रति।			To	
20	बिहार राज्यान्तर्गत किसी भी स्तर के सरकारी अस्पतालों सहित भारत सरकार / बिहार सरकार के किसी भी विभागों / कार्यालयों में विभिन्न प्रकार का आरोप– यथा (आउट–सोर्सिंग से संबंधित कार्य करने में लापरवाही करने के कारण सक्षम पदाधिकारियों द्वारा बार–बार मौखिक कहने के बावजूद कार्य मे सुधार नहीं होने के पश्चात् अस्पताल प्रशासन अथवा अन्य कार्यालयों के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार स्पष्टीकरण की माँग के तहत प्राप्त असंतोष जवाब एवं असंतोष जवाब होने के आलोकनार्थ तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा कार्य करने की लापरवाही के कारण विपत्र में से राशि की कटौती किया गया हो अथवा फर्जी तरीके से राशि निकालने का उजागर हुआ हो अथवा निविदा आवेदन के साथ संलग्न की गई कागजातों / प्रमाण–पत्रों का सक्षम पदाधिकारियों / सक्षम संस्थान / सक्षम कार्यालय द्वारा किया गया भौतिक सत्यापन में फर्जी / भ्रामक / आधा–अधुरा पाये जाने का आरोप) नही लगा है, का शपथ–पत्र।			To	
				कुल योगः–	

निविदादाता की पूर्ण विवरणी

01	गैर सरकारी संस्थाओं / कम्पनियों / फर्मों / प्रतिष्ठानों / सर्विस प्रोभाईडरों / संवेदकों का पूरा नाम :–	
02	गैर सरकारी संस्थाओं / कम्पनियों / फर्मों / प्रतिष्ठानों / सर्विस प्रोभाईडरों / संवेदकों का पूरा पता :–	
03	गैर सरकारी संस्थाओं / कम्पनियों / फर्मों / प्रतिष्ठानों / सर्विस प्रोभाईडरों / संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का पद नाम :–	
04	गैर सरकारी संस्थाओं / कम्पनियों / फर्मों / प्रतिष्ठानों / सर्विस प्रोभाईडरों / संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले	

26.5.20 26/5/20 26/5/2020 26/5/20 26/5/20 26/5/2020

Scanned by CamScanner

	निविदादाता का पूरा नाम :–	
05	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का जन्म तिथि :–	
06	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता के पिता का नाम :–	
07	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का मोवाईल न० :–	

निविदादाता का हस्ताक्षर :

(ग) स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या–648(10) दिनांकः 07.09.15 के द्वारा सरकारी अस्पताल में पथ्य (फुल डायट नार्मल **Energy & 3500 kcal/protein-100gm**) की अधिकतम दर 97.69 रू० प्रतिरोगी प्रतिदिन निर्धारित किया गया है के आलोक में संस्था द्वारा रोगियों के लिये भोजन/नास्ता आपूर्ति हेतु प्रतिदिन प्रतिरोगी जो सरकार द्वारा निर्धारित दर से 10 **(दस)** प्रतिशत से ज्यादा कम न हो का दर वित्तीय निविदा में अंकित करना होगा, जिससे न्यूनतम दर के आधार पर **L1** का चयन किया जायेगा। संस्था द्वारा अंतःकक्ष रोगियों को निम्न मीनू के आधार पर भोजन/नास्ता उपलब्ध कराने से संबंधित कार्यो कि विवरणी निम्नलिखित है।

वित्तीय निविदा का प्रारूप

अंतःकक्ष रोगियों को निम्न मीनू के आधार पर भोजन/नास्ता उपलब्ध कराने से संबंधित कार्यो की विवरणी निम्नलिखित है :-		प्रतिदिन प्रतिरोगी का एकमुश्त दर
सुबह में **7AM TO 8AM**	पावरोटी 02 पीस या रोटी 02 पीस (50 ग्राम) (Aluminum foil में), छुहारा 02 पीस, सुजी का हल्वा 100 ग्राम, चना या चना दाल डाला हुआ कदू/नेनुआ/मिक्स हरा सब्जी (बिना मसाला डाला हुआ) सब्जी 100 ग्राम, हल्का मसाला में फाई किया हुआ फुला अंकुरित चना 100 ग्राम, फाई किया हुआ हरा मिर्चा 2 पीस, चाय 01 कप एवं अंडा 02 पीस/**(अंडा नहीं खाने वालो के लिए मौसमी फल)** जैसे–केला 04 पीस या सेव 100 ग्राम या संतरा 100 ग्राम या अंगुर 100 ग्राम या पपीता 100 ग्राम।	
दोपहर में **12AM TO 1PM**	रोटी 02 पीस (50 ग्राम) (Aluminum foil में), कतरनी या बासमती चावल 125 ग्राम, दाल (चना/अरहर/मुंग/मसुर) 100 ग्राम, सब्जी 100 ग्राम, लिज्जत पापड हॉफ पीस, दही 50 ग्राम (डिब्बावाला), पुदीना/धनीया का पत्ता की चटनी 2 (दो) चम्मच, फाई किया हुआ हरा मिर्चा 2 पीस, नीबू हॉफ पीस एवं सलाद 100 ग्राम।	
शाम में **4PM TO 5PM**	आरारोट बिस्कुट 02 पीस, फुला हुआ अंकुरित हरा मुंग 50 ग्राम, रोग प्रतिरोधक क्षमता वेजिटेबल जूस (टमाटर, पालक, गाजर, चुकंदर, लहसुन, अदरक, जीरा, गोलकी मिर्च, लौंग, तुलसी पत्ता एवं गुड को मिलाकर) 01 कप या कोई रोगी चाय पीने की इच्छा जाहीर करता है तो उसे 01 कप चाय देना होगा।	
रात में **7PM TO 9PM**	रोटी 04 पीस, (100 ग्राम) (Aluminum foil में), दुध 500 ग्राम (सुधा या अमूल पॉकेट वाला), चीनी/गुड़ भूरा 25 ग्राम, हरा सब्जी 100 ग्राम, फाई किया हुआ हरा मिर्चा 2 पीस एवं सलाद 100 ग्राम।	

26.5.20 26/5/20 26/5/2020 26/5/20 JP 26/5/20 26/5/2020

Scanned by CamScanner

(घ) तकनीकी एवं वित्तीय निविदा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण शर्त्तों की पूर्ण विवरणी :–

(01) निविदा आवेदन में किसी प्रकार का कटिंग अथवा हाथ से लिखा हुआ निविदा आवेदन (तकनीकी/वित्तीय) अथवा ओवर राईटिंग स्वीकार नहीं किया जायेगा अन्यथा उक्त निविदा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(02) कर्मियों/श्रमिकों की उम्र अधिकतम 60 वर्ष से ज्यादा एवं न्यूनतम 21 वर्ष से कम नहीं होगा। कर्मियों की मानसिक एवं शारीरिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए।

(03) तकनीकी निविदा विन्दुवार शर्त्तोनुकूल किसी निविदादाता द्वारा निविदा आवेदन के साथ एक भी शर्त्त पूरा नहीं करते हैं तो उक्त परिस्थिति में उक्त निविदादाता का तकनीकी निविदा अस्वीकृत कर दिया जायेगा। यथा सभी प्रमाण–पत्रों को निविदा आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(04) तकनीकी निविदा आवेदन के साथ संलग्न तकनीकी प्रमाण–पत्रों का भौतिक सत्यापन के दौरान निविदादाता द्वारा सभी शर्त्तो को पूरा करता है तो उक्त परिस्थिति में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा।

(05) निविदा आवेदन के साथ संलग्न सभी प्रमाण–पत्र निविदा प्रकाशन के पूर्व का निबंधित अथवा सेवा विस्तार होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में वैसे प्रमाण–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें, जिसका निबंधन अथवा सेवा विस्तार के लिए संबंधित विभाग में आवेदन (अप्लाई फॉर) दिया गया हों।

(06) निविदा में दर्शाई गई सभी शार्तोनुकूल सेवा उपलब्ध कराने हेतु आनेवाली सभी प्रकार का खर्च निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा (इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा)।

(07) आउटसोर्सिंग के तहत की जा रही कार्यों की गुणवता से संबंधित अस्पताल के किसी भी पदाधिकारी/कर्मी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से की गई शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। प्रभारी पदाधिकारी से की गयी लिखित शिकायत आवेदन पर अस्पताल प्रशासन द्वारा गठित समिति के सदस्यों द्वारा जॉचोंपरान्त ही निविदादाता को दण्डित अथवा आर्थिक दण्ड अथवा कार्यमुक्त किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में बिना जॉचोंपरान्त संस्था पर कोई कार्यवाही नहीं किया जायेगा।

(08) यह कार्य आउटसोर्सिंग के आधार पर किया जा रहा है। कार्य में संलग्न किसी भी कर्मी/श्रमिकों का सरकारी कर्मचारी के रूप में कोई दावा मान्य नहीं होगा।

(09) किये गये कार्य का भुगतान आवंटन उपलब्ध होने पर ही किया जायेगा। भुगतान में किसी प्रकार का विलम्ब होने पर ब्याज देय नहीं होगा। इस कार्य के लिये किसी भी प्रकार की अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। यदि संस्था बीच में कार्य बाधित करते है तो उक्त परिस्थिति में संस्था का अग्रधन के रूप में जमा की गई राशि जब्त कर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

(10) आवश्यक कर कटौती के बाद ही भुगतान होगा

(11) कार्यो को सुचारू रूप से संचालन हतु अस्पताल प्रशासन द्वारा कमरा अथवा सेड सहित समतल जमीन से 03 फीट उचाई तक सिमेंटेड बेस एवं रैक बनाकर दिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में निविदादाता द्वारा परिसर के अन्दर कोई भी स्थाई निर्माण संबंधित कार्य अपने स्तर से नहीं कराया जायेगा।

(12) निविदा आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण–पत्र/कागजात को निर्गत विभागों द्वारा वित्तीय निविदा खोलने से पूर्व/पश्चात् अथवा कार्यादेश निर्गत करने से पूर्व/पश्चात् अथवा एकरारनामा होने के पूर्व/पश्चात् अथवा किसी भी समय जांचोपरान्त फर्जी पाई जाती है अथवा शपथ–पत्र में गलत सूचना देते हैं तो निविदादाता के विरूद्ध अविलम्ब स्थानीय थाना में एफ०आई०आर० दर्ज करते हुए कानूनी कार्यवाई किया जायेगा तथा तत्काल उक्त संस्था को अगले 10 वर्षो तक के लिए काली सूची में नाम दर्ज करते सहित निविदा आवेदन के साथ अग्रधन के रूप में जमा की गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

(13) कर्मियों एवं संचालकों को अस्पताल कर्मियों के प्रति व्यवहार मृद एवं सहयोगात्मक होना चाहिए। यदि कर्मियों का व्यवहार अस्पताल प्रशासन द्वारा अच्छा नहीं पाया जाता है तो उक्त परिस्थिति में ऐसे कर्मियों को तत्काल हटाते हुए नए कर्मियों को निविदादाता द्वारा रखा जायेगा।

(14) निविदा में सफल होने के पश्चात् निविदादाता को अद्योहस्ताक्षरी के साथ 1000/–NON JUDICIAL STAMP पर एकरारनामा करना होगा एवं एकरारनामा होने के 15 दिनों के अन्दर निविदा शर्त्तोनुकूल कार्य प्रारंभ करना होगा।

(15) अनुबंध तीन वर्ष के लिए मान्य होगा सेवा संतुष्टि के आधार पर इसे विस्तारित किया जा सकता है।

(16) L1, L2 दर के आधार पर पैनल बनाकर रखा जायेगा, बीच में कार्य छोड़कर जाने वाले अथवा बर्खास्त किये गये संस्था से हुई रिक्तियों को इसी पैनल के L2 दर अंकित करने वाले संस्था से L1 के दर पर उक्त कार्य कराया जायेगा, यदि L1 के दर पर L2 दर अंकित करने वाला संस्था असमर्थता जताती है तो उक्त परिस्थिती में अस्पताल प्रशासन द्वारा L2 दर पर कार्य कराने हेतु अथवा कार्य नहीं कराने हेतु अस्पताल प्रशासन के गठित समिति द्वारा अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

Scanned by CamScanner

(17) अस्पताल प्रशासन के द्वारा बिना कारण बताते हुए निविदा पुर्णतः या अंशतः निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा एवं अस्पताल प्रशासन का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा पटना उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा किया जायेगा।

(18) श्रमिक कार्य करने की अवधि के दौरान निर्धारित पोशाक में कार्य करेंगे जिसकी उपस्थिति अस्पताल प्रशासन द्वारा अधिकृत कोई भी पदाधिकारी/कर्मी के पास संधारित होगा।

(19) श्रमिकों के आवास (जो वर्तमान में है) आवास (स्थाई/अस्थाई) का आवासीय प्रमाण–पत्र (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) एवं उक्त जिला के पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र (आवास एवं चरित्र दोनों प्रमाण–पत्र) सहित श्रमिकों का आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति एकरारनामा से पूर्व कार्यालय में जमा करना होगा।

(20) बाल श्रम तथा अन्य आपराधिक गतिविधि की जानकारी प्राप्त होने पर संस्था के विरूद्ध नियमानुकूल कार्यवाई की जायेगी।

(21) प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में श्रमिकों का श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान संस्था द्वारा **(विपत्र के साथ श्रमिकों को कि गई भुगतान संबंधित उक्त बैक पासबुक कि छायप्रति संलग्न करना होगा)** करने के पश्चात् ही अस्पताल प्रशासन द्वारा संस्था को उक्त माह का भुगतान किया जायेगा, निर्धारित समय पर संस्था द्वारा श्रमिकों को भुगतान नहीं किया जाता है तो उक्त परिस्थिति में श्रमिकों को भुगतान करने कि तिथि तक रू0 5000/–प्रतिदिन के दर से दण्ड के रूप में संस्था से प्राप्त विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती की जायेगी।

(22) अगर दो या दो से अधिक निविदादाता का वित्तीय निविदा में दर समान पाया जाता है तो उक्त परिस्थिति में लॉटरी के माध्यम से कार्य आवंटन हेतु कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

(23) अस्पताल परिसर अन्तर्गत संस्था द्वारा रखी गई सभी प्रकार के (सेवा विस्तार नही होने के आलोक में) सामग्री **एकरारनामा अवधि समाप्त होने के पश्चात् 24 घंटे के अन्दर अस्पताल परिसर से हटाना होगा।** तत्पश्चात् ही 36वां माह का विपत्र एवं अग्रधन के रूप में जमा की गयी डिमाण्ड ड्रॉफ्ट का भुगतान किया जायेगा। अन्यथा अस्पताल प्रशासन द्वारा सभी सामग्री जब्त करते हुए संस्था पर प्राथमिकी दर्ज करने सहित कानूनी कार्रवाई किया जायेगा। इसके अतिरिक्त संस्था पर प्राथमिकी दर्ज करने के आलोक में न्यायालय के निर्णय आने कि तिथि तक एकरारनामा समाप्त होने कि तिथि से रू. 5000/– प्रतिदिन कि दर से दण्ड के रूप में संस्था से प्राप्त 36वां माह का विपत्र एवं अग्रधन के रूप में जमा कि गई डिमाण्ड ड्रॉफ्ट पर अंकित राशि मे से कटौती करने के पश्चात् शेष राशि का भुगतान किया जायेगा।

नोट :–

(I) निविदादाताओं को निर्देश दिया जाता है की तकनीकी निविदा में मांगे गए उपरोक्त कागजात के अतिरिक्त अन्य कोई भी कागजात संलग्न नही करेंगे एवं शपथ–पत्र क्रमवारनुकूल अलग–अलग बना होना चाहिए।

(II) जिस संस्था का बिहार राज्यान्तर्गत किसी भी स्तर के सरकारी अस्पतालों सहित भारत सरकार/बिहार सरकार के किसी भी विभाग/कार्यालय में विभिन्न प्रकार का आरोप यथा (काली सूची में दर्ज किया गया हो अथवा आउट–सोर्सिंग से संबंधित कार्य करने में लापरवाही करने के कारण सक्षम पदाधिकारियों द्वारा बार–बार मौखिक कहने के बावजूद कार्य मे सुधार नहीं होने के पश्चात् अस्पताल प्रशासन अथवा अन्य कार्यालयों के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार स्पष्टीकरण की माँग के तहत प्राप्त असंतोष जवाब एवं असंतोष जवाब होने के आलोकनार्थ तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा कार्य करने की लापरवाही के कारण विपत्र में से राशि की कटौती किया गया हो अथवा फर्जी तरीके से राशि निकालने का उजागर हुआ हो अथवा निविदा आवेदन के साथ संलग्न की गई कागजातों/प्रमाण–पत्रों का सक्षम पदाधिकारियों/सक्षम संस्थान/सक्षम कार्यालय द्वारा किया गया भौतिक सत्यापन में फर्जी/भ्रामक/आधा–अधुरा पाये जाने का आरोप) लगा हो तो वे इस निविदा में भाग नहीं ले सकते है।

(III) निविदा आवेदन के साथ सभी शर्त्तो से संबंधित प्रमाण–पत्रों की स्व0 अभिप्रमाणित छाया–प्रति का क्रमवार नम्बरिंग ***(स्व0 अभिप्रमाणित, क्रमवार, नम्बरिंग नहीं होने के कारण उक्त निविदादाता का निविदा आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा)*** करके निविदा संबंधित सभी कागजातों को लिफाफा में सीलबंद कर जमा करना होगा।

(IV) नोट एवं निविदा में दर्शाई गई सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं को अनिवार्य समझा जाए, अगर निविदादाता द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता हैं तो उक्त परिस्थिति में संस्था का तकनीकी एवं वित्तीय निविदा खोलने अथवा कार्यादेश निर्गत होने अथवा एकरारनामा होने के पश्चात् अथवा किसी भी समय कार्यादेश एवं एकरारनामा रद करते हुए अस्पताल प्रशासन द्वारा की गई सभी भुगतान की वसुली कर सरकारी खजाना में जमा करते हुए संस्था को काली सूची में डालते हुए प्राथमिकी दर्ज कर अग्रधन के रूप में जमा की गई राशि जब्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

26/5/2020

निदेशक,
लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,
पटना।

26.5.20 26/03/20 26/5/2020 26/05/20 JP 26/5/20

Scanned by CamScanner